दिनांक 24-7-24 को दर्ज हुई।

24/7/24 आज यह पत्रावली पेश हुई। अन्य कोई उपस्थित नहीं है। वादी का मूल वाद अदम हाजरी अदम पैरवी के खारिज हो चुका है। इसलिए यह पत्रावली को आगे कार्यवाही चलाया जाना उचित नहीं है। जिस रूट से यह पत्रावली भी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली का नम्बर रजिस्टर से कम हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

[illegible] 28।

उपखण्ड अधिकारी